राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1404 / 2025

विजय कुमार गर्ग **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कृषि एवं पंचायत राज (कृषि), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उपनिदेशक (रिसर्च) के पद पर कृषि आयुक्तालय (जल उपयोग प्रकोष्ठ) जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, दौसा में नवल किशोर मीणा के स्थान पर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.05.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा राजस्थान कृषि सेवा के अनुसंधान शाखा (शष्य) की वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 3 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2024 के द्वारा उपनिदेशक कृषि (शष्य) के पद पर पदोन्नति दी गई।

प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पदस्थापन कृषि आयुक्तालय, जल उपयोग प्रकोष्ठ मुख्यालय, जयपुर से उपनिदेशक कृषि (शष्य) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर में किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2025 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया। अपीलार्थी वर्तमान में कृषि आयुक्तालय, जल उपयोग प्रकोष्ठ मुख्यालय, जयपुर में ही कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर से उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, दौसा में नवल किशोर मीणा के स्थान पर गलत अंकित किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी ब्रेन हेमरेज हुआ था, ऑपरेशन के दौरान अपीलार्थी की पत्नी के सिर में 20 टाके आये थे, उनका निरन्तर ईलाज चल रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर उपनिदेशक (रिसर्च) के पद पर कृषि आयुक्तालय (जल उपयोग प्रकोष्ठ) जयपुर में कार्य करने दिया जावे एवं वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य